

12/5/23

नोट  
12/5

आज यह पंचायती प्रशासन गाँवों  
के संग अभियान-2023 के रूप  
में ग्र.पं. लिखमवाला में पेश हुई।  
वकील जय प्रकाश या Notary  
(के.ए.) जयका यह Notary के पास  
पर जारी किया जाता है तथा न्यायालय  
द्वारा प्रारंभ में दिनांक 19/05/23 को जारी  
अध्याय निषेधाज्ञा को निरस्त किया  
जाता है। पंचायती के द्वारा शुभारंभ  
कर करूल वाट खलक 20



Ran  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
कम्प - लिखमवाला